

कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या-एम0ई0-3/2018/2874

लखनऊ: दिनांक 14 अगस्त, 2018

यू0पी0 नीट यू0जी0-2018 की द्वितीय चक के पश्चात त्याग-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना

यू0पी0 नीट यू0जी0-2018 के ब्रोशर के पृष्ठ संख्या 9 व 10 पर द्वितीय चक की काउंसिलिंग के पश्चात त्याग-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था है:-

“यदि अभ्यर्थी द्वितीय चक की काउंसिलिंग की च्वाईस फिलिंग प्रारम्भ होने की तिथि के पश्चात् त्यागपत्र देकर सीट रिक्त करता है तो उसके द्वारा जमा किया गया शिक्षण शुल्क तथा धरोहर धनराशि वापस नहीं किया जायेगा”।

अतः ऐसे अभ्यर्थी जो प्रदेश कोटे की सीटों पर प्रवेशित हैं यदि वह अपनी सीट से त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह दिनांक 18.08.2018 तक सायं 4:00 बजे तक अपनी सीट से त्याग-पत्र उपरोक्त शर्त के साथ दे सकते हैं। दिनांक 18.08.2018 को सायं 4:00 बजे के बाद किसी भी दशा में त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा यदि इसके पश्चात भी अभ्यर्थी द्वारा त्यागपत्र दिया जाता है तो शैक्षणिक सत्र 2018-19 हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किये गये मूल प्रमाण पत्र सम्बन्धित कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा वापस नहीं किया जायेगा।

18
महानिदेशक